SHRI PIYUSH GOYAL (MAHARASHTRA): Hon'ble Vice-Chairman, Sir, I apologise for not being there. But I was under the impression, after talking to you, that Shantaramji will be speaking before me. Please accept my apology. Sir, I thank you for having given me the opportunity to speak on this very important Bill, a Bill which we all have been waiting for about four years, and before that, for many more years when it was under preparation.

वैसे तो इस बिल के बारे में मेरे मित्र ने काफी कुछ कहा है, खासकर मेरे मित्र मणिशंकर अय्यर जी ने। उन्होंने इस बिल का स्वागत भी किया है और निन्दा भी की है। मुझे लगता है कि वास्तव में उनकी निन्दा के बाद इस बिल पर कहने के लिए, हम सब के पास ज्यादा कुछ नहीं बचता है, परन्तु इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, मैंने अपने विषय थोड़े बदले हैं। श्री एन.के. सिह जी ने काफी चीजें सदन के सामने रखी हैं। उन्होंने इस बिल में जो प्राावधानिक कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनकी ओर सदन को अवगत कराया है। मैं श्री मणिशंकर जी की बात को आगे ले जाते हुए कुछ आर्थिक विषयों के बारे में कहूंगा और फिर अभी तक की चर्चा में इस बिल के जो प्रावधान नहीं आए हैं, उनके ऊपर सदन का ध्यान आकिर्षत करूंगा। मणि शंकर जी ने कुछ चीजों पर इंस्ट्टीयूट ऑफ चार्टड एकाउटेंट्स को बहुत किरि्टिसाइज किया है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ चार्टड एकाउटेंट्सं मेरे पास आए थे। वे पूछ रहे थे कि आप कब तक सत्यम जैसे एक केस या दो केस के ऊपर हमारे प्रोफेशन की निन्दा करते रहेंगे? अगर कल को फिर उसी मापदंड से राजनीतिज्ञों के ऊपर जनता प्रहार करे कि आपके कितने राजनतिज्ञों ने कितने गलत काम किए हैं और उनको क्या सजा हुई है? अगर उसी मापदंड पर ऑडिटर और चार्टड एकाउटेंट्सं को खड़ा करना पड़े, उसी मापदंड पर राजनीतिज्ञों को, लॉयर्स को या बाकी और प्रोफेशंस को खड़ा करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए बड़ी तकलीफ की बात होगी और खासकर मणिशंकर जी के मित्रों के लिए बड़ी तकलीफ की बात होगी। मुझे लगता कि किसी भी प्रोफेशन को

एक स्वीपिंग ब्रूम से कमेंट्स करने के बदले we will have to isolate the bad cases, the bad acts and the people who are serving the profession honourably and the people who are auditing 10 lakh companies. शायद मणि शंकर जी ने गमार्गर्मी में कह दिया कि 30 लाख बोगस कम्पनीज हैं। मुझे पता नहीं है कि उनको यह फिगर कहां से मिली है, लेकिन इस देश में तीस लाख कम्पनियां ही नहीं हैं, ये तो शायद उनके मन में हो सकती है। जिस देश में कम्पनियां ही दस–ग्यारह लाख हैं, तो उनमे से कुछ कम्पनियां जरूर बोगस होगी, लेकिन...(व्यवधान)..

श्री मणि शंकर अय्यर : तेरह लाख हैं, तीस लाख नहीं।

श्री पीयूष गोयल : चलो तेरह लाख तो इक्वली बैड है, क्योंकि कम्पनियां ही साढ़े दस, ग्यारह लाख हैं। तेरह लाख है या तीस लाख है, ये जरूर उनके मन में है। अगर ऐसी कम्पनियां हैं तो मेरे ख्याल से इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकारी। के डिपार्टमेंट/विभागों की है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कायर्वाही करे और उनको बाहर निकालकर उन प्रमोटर्स, डॉयरेक्टर्स के ऊपर कायर्वाही हो।

श्री पीयूष गोयल (कर्मागत) : श्री एन.के.बाबू ने एक चीज कही थी, जिसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। इस सरकार ने 100 क्लॉज़ेज में नहीं, बल्कि 336 क्लॉजेज में यह प्रावधान रखा है कि वह उनको रूल्स द्वारा तय कर सके। मुझे लगता है कि अगर 336 क्लॉजेज के रूल्स द्वारा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन तय होने हैं, तो चेयरमैन सर, उन्हें ये सभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इस सदन में पेश करते रहने पड़ेंगे। इस सदन के मैम्बरान के द्वारा वह सब फिर से पढ़कर, अध्ययन करके, उस पर चर्चा हो सकती है, जो कि हमने पिछले दो–तीन सेशन में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर देखी है। मुझे लगता है कि इस बिल को अमेंड करने का या इस बिल को एक नया रूप देने का जो परपज था, जिस प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि बड़ी–बड़ी आवाजें करते थे कि हम पूरे कम्पनीज ऐक्ट को रीवैम्प कर रहे है, हम देश के सामने एक आधुनिक स्थित को,

इंटरनेशनल पैरामीटर्स को देखते हुए कम्पनीज ऐक्ट को एक नया आयाम दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं, मुझे लगता है कि in the bureaucratic tussle or in the typical small mindset of a Government which does not have direction, यह जो पूरा कानून बना है, it is basically a rehash of the existing Companies Act; 336 provisions for rules और साथ में लगभग 450 क्लॉजेज की वजह से कल को सरकारी अफसर किसी भी प्रमोटर, डायरेक्टर, ऑडिटर से कहेगा कि ignorance of the law is no excuse. यह तो देश का accepted principle है। I can challenge the Minister, I can challenge every Government official in India and I can probably challenge myself and every other Chartered Accountant in India कि ये देश के हरेक कानून के बारे में जानकारी रख सकें, देश के हरेक कानून का बिना कोई उल्लंघन करे पूरा पालन कर सकें।

जो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स होते है, वे तो और ज्यादा मुश्किल होते हैं। उनके बारे में तो बहुत आसानी से पब्लिक डोमेन में जानकारी भी नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि अगर सरकार वास्तव में यह चाहती थी कि लोगों की समस्याएं कम हैं, एक आसान और सरल कानून आए, एक कानून, जिसको इस सदन में एक नौजवान मंत्री पेश कर रहे हैं – वैसे तो इस सरकार में नौजवान मंत्री बहुत कम है, ये नौजवानों की बात बहुत करते है, लेकिन इन्होनें गिने–चुने नौजवानों को ही मौका दिया है, पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र ने सदन में इस कानून को पेश करने मे बहुत मेहनत की है। उन्होंने इसके ऊपर बड़े खुले दिल से लोक सभा के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए अमेंडमेन्ट्स किए है। मै उस बात पर जरूर मंत्री जी की तारीफ करूंगा, लेकिन सरकार को यह चेतावनी भी दूंगा कि आप और युवा मंत्रियों को सामने लाएं, जो इस प्रकार के खुले दिल से देश की रणनीति और राजनीति को आगे लेकर जा सकें। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार की क्या मजबूरियाँ हैं कि वह एक या दो नौजवान मंत्रियों को ही आगे लेकर आती है।

आर्थिक स्थिति पर तो बड़ी गंभीर समस्याएँ है। हम जानते हैं कि देश की स्थिति बिगड़ रही है। जब बिगड़ती हुई स्थिति का सामना करना हो, तो आप कानून को सरल बनाएं, लोगों को प्रोत्साहन दें कि वे देश में आकर निवेश करें, देश में आकर व्यापार करें। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा वह तौर–तरीका ठीक रहेगा या इस सरकार के हिसाब से इतना ज्यादा काम्पिलीकेटिड कर दो, इतनी ज्यादा मुश्किलात सामने ले आओ कि इस देश में कोई भला आदमी भी धंधा, व्यापार न कर सके और कंम्पनियाँ भी कोई बिजनेस और कॉर्पोरेट एक्टिविटीज न चला सकें, वाला तरीका ठीक रहेगा? मै समझता हूं कि मेरे मंत्री मित्र की एक जिम्मेदारी है कि वे कानून और कानून के प्रावधानों को सरल बनाने के ऊपर ध्यान दें और हो सके तो देश के सामने जो समस्याएं है, उनको लिप सिम्पथी देने की बजाय वास्तव में सरकार और उसके डिपार्टमेंट्स कुछ ऐसे ठोस कदम उठाएं जिससे फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउटं डेफिसिट, महंगाई, ब्याज की दरें, falling industrial index of industrial production हो। Manufacturing, services और agriculture,ये तीनों, जो इस देश में कभी भी एक साथ नहीं गिरे, जो पहली बार इतने स्ट्रेस्ड हैं, सरकार इन सब के ऊपर ध्यान दे। यह सरकार सिर्फ नया कानून लाने, नये कानून में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन्स, नये प्रावधानों को करने की बजाय 'ease of doing business' पर फोकस करें। (Time-bell) Sir, but I have enough time. What is the hurry? Sir, just look at the watch! ...(Interruptions)... I am the last speaker from my Party.

श्री पीयूष गोयल : मुझे लगता है कि मैंने मंत्री की थोड़ी तारीफ कर दी, ऑनरेबल चेयर को शायद वह पसंद नहीं आया, इसलिए अब मैं तारीफ कम करूंगा और थोड़ा उनकी आलोचना पर लगता हूं। श्री एन.के. सिंह साहब ने कुछ विषय सदन के सामने रखें। मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने नौ विषय रखे। अभी मैं उनसे कह रहा था कि मेरे विषय तो आपने ही रख दिए और मुझे भाग कर जाना पड़ा कि जल्दी से

जाकर देखूं कि और क्या विषय मैं उठा सकता हूं। उनके द्वारा उठाए गए विषयों का समर्थन करते हुए मैं कुछ चीजों की ओर सदन ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

लिस्टिड कम्पनीज़ के बारे में जो श्री एन. के. सिंह साहब ने कहा, वह बहुत जरूरी विषय है। मंत्री जी इस पर ध्यान दें, क्योंकि अब जिस प्रकार से कानून में लिखा गया है, उसके हिसाब से जो भी लिस्टिड कम्पनी कें अंतर्गत आ जाता है, वे कोई भी बांड इश्यू करें, that is debt instrument चूंकि सेक्योरिटी की डेफिनेशन में काफी कुछ आ जाता है, इसलिए मुझे लगता है इसे बहुत गहराई से समझने और देखने की आवश्यकता है।

कई मैम्बर्स ने सीएसआर का विषय उठाया है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह मानना है कि सीएसआर या समाज सेवा की जो भावना है, वह दिल से होती है, कानून से नहीं होती। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में भी यह सब्जेक्ट आया था, लेकिन पंचों की राय थी कि सीएसआर को कानून में लाया जाए, इसलिए हम सब को स्वीकार करते हैं। हालांकि यह एक अच्छा प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कोई सजा नहीं है। इस तरह तो एक तरीके से सरकार ले लोगों को गलत रास्ता दिखाया है। इसमें कहा गया है कि हर कम्पनी को उनके नेट प्रॉफिट का 2 प्रतिशत % सीएसआर करना पड़ेगा। आप यह प्रावधान तो लाए हैं, लेकिन अगर कोई कम्पनी इस प्रावधान का उल्लंघन करती है, तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है।

उसको सिर्फ सेक्शन 134 सब–सेक्शन (3) क्लॉज़ (ओ) द्वारा कारण देने पड़ेंगे कि वे क्यों सीएसआर का पालन नहीं कर पाए। एक बार वे कारण दे देते हैं, तो उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मैं मंत्री मोहदय से अपील करूंगां कि अगर सीएसआर लागू करने के लिए इस सरकार की नीयत सही है, तो इस

प्रावधान के अन्दर कुछ न कुछ सुधार की जरूर आवश्यकता हैं जैस एग्रीकल्चर लेंडिंग में होता है तकि अगर आप एग्रीकल्चर लेंडिग कम करते हैं तो वह पैसा आपको 'नाबार्ड' के पास देना पड़ता है, वैसे ही अगर सीएसआर कम हो, तो वह पैसा भी जब्त हो या प्रधान मंत्री रिलीफ फंड में जाए या कुछ और प्लान किया जाए कि एक, दो या तीन साल के अन्दर वह पैसा खर्च होना चाहिए। इस तरह इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए।

एक विषय 'number of audits' के ऊपर काफी बार डिस्कस हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है कि सरकार ने उसे करेक्ट कर दिया है और उसको "as prescribed" कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात पर गौर करे कि इस देश में इतने प्रेक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं ही नहीं जो 10–11 लाख कम्पनीज़ का ऑडिट कर सकें। अगर सिर्फ 20 का प्रावधान रखते हैं, तब भी ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़ के लिए इसकी लिमिट रखना आवश्यक रहेगा, जिससे नये चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और नये ऑडिटर्स को भी मौका मिल सके।

एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगा, सरकार ने क्लॉज़ 145, सैकंड प्रोवीज़ो में ऑडिटर्स के ऊपर कुछ हार्श पैनल्टीज़ रखी हैं या क्लॉज़ 447 की पैनेल्टीज़ एप्लाई की हैं, यह ठीक नहीं है। इससे होगा यह कि अगर एक ऑडिटर गलत हो, उसके गलत काम के लिए पूरी फर्म के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। How can the whole firm be held responsible for the acts of one person? मुझे लगता है कि इसके ऊपर थेड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है ताकि पूरी फर्म के ऊपर नहीं, मगर जिस ऑडिटर ने गलत काम किया है, फ्रॉड किया है, मिसफीसेंस किया है या गलत काम किया है, उसके ऊपर इसकी पूरी पैनल्टी लगे और सख्त से सख्त कार्यवाही हो। उस पर तो सख्त से सख्त पैनल्टी, फाइन, इम्प्रिज़नमंट लगे, लेकिन पूरी ऑडिट फर्म को

उसकी सजा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसा संभव नहीं है हर इन्सान की लाइबिलिटी दूसरे के ऊपर डाली जा सके।

इसी तरीके से क्लॉजऋ 245 (1) (g) में, 'inclusion of Auditor in class action suits' प्रोवाइड किया गया है। अब आप एक्सपर्ट्स, एडवाइज़र्स, कन्सल्टेंट्स, हर किसी को 'class-action suits' में ले आएंगे, तो कहीं भी कुछ लोग इकट्ठे हो करके किसी भी प्रकार के वेस्टिड इंटरेस्ट पर इनको खींच सकते हैं। ऐसे तो हरेक व्यकित इतना केयरफुल हो जाएगा और इतने कैविएट्स डालेगा, अपनी रिपोर्ट में इतने ज्याद एक्सक्लूजन्स डालेगा कि उस रिपोर्ट की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी।

श्री पीयूष गोयल (क्रमागत) : मुझे लगता है कि अगर आप यह महसूस करते हैं कि कम्पनीज़ के कमाकाज में एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स की आवश्यकता नहीं है, तो आप खुले दिल से कहिए, लेकिन अगर उनकी आवश्यकता है, तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पडत्रेगा, नहीं तो खर्चें बहुत बढ़ जाएंगे। अगर वह प्राबिटी को एकदम डिटेल में ले जाए that you may find audit cost to shoot up in companies या आपको उसमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो miscreants with mala fide intention हैं, उनके ऊपर कितनी पेनल्टी होगी और टेक्निकल लैपस्ज़ के ऊपर क्या होगा।

245 (7) में frivolous and vexatious litigation का प्रावधान है। मुझे लगता है कि जो frivolous and vexatious litigation करते हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई या फाइन का प्रावधान है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है तो उनके ऊपर और ज्याद सख्ती करने की आवश्यकता है। नहीं तो, एक तरीके से कानून कई बार ब्लैकमेल का टूल बन जाता है। यह ब्लैकमेल का टूल न बने। When it is adjudicated that the person has done, has committed, or, has files a

case with bad intention, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई है, उसको भी बढ़ाने की सख्त जरूरत है।

सर, एक क्लॉज़ 67 में leveraged buyout को अलाऊ नहीं किया गया है। सरकार कहती है कि हम मॉर्डन दुनिया में अपने आपको इंटिग्रेट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में leveraged buyout का प्रावधान है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत में क्या कठिनाईयां है और हम leveraged buyout से क्यों डरते हैं। मैं समझता हूँ कि मंत्री जी खुद दुनिया में काम कर चुके हैं। वे विदेशों के कानून को जानते हैं। वे इस leveraged buyout के ऊपर जरूर ध्यान देंगे।

सर, एक बड़ा अजीब सा क्लॉज हे, जिसके बारे में मुझे लगता है कि ड्राफ्टिंग स्टेज पर कोई गलती हो गई है। यह क्लॉज 167 (1) है – Vacation of office of Director. Provision in the law is that a Director will have to vacate his office, अगर किसी कोर्ट ने उनको किसी ऑफेंस में कंविक्ट किया है, involving moral turpitude or otherwise and sentenced to imprisonment for not less than six months, तो such Director has to vacate office even if an appealis filed against such order. यदि वह डायरेक्टर एक सिटिंग डायरेक्टर है, अगर उसके ऊपर ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन, जो दूसरा प्रोविजन है, clause 164(3) which deals with appointment of a Director ab initio, new appointment. उसमें अगर डायरेक्टर किसी कानून के तहत फँसा हो और उसके ऊपर कन्विक्शन हो, जिसमें उसके ऊपर छः महीने से अधिक के इंप्रिजनमेंट का वर्डिक्ट हो और वह अपील में जाए, तो वह डायरेक्टर बन सकता है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि इसका लॉजिक क्या है। शायद मंत्री जी को अभी तक किसी ने यह नहीं बताया होगा, लेकिन इसका यह मतलब हुआ कि मैं जब नया डायरेक्टर अप्वायंट होता

हूं, तब मैं अगर अपील में गया हुआ हूं, तो यह चलेगा, लेकिन अगर मैं सिटिंग डायरेक्टर हूं, तो अगर मैं अपील भी करूँ, तो वह नहीं चलेगा और मुझे पद छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ड्राफ्टिंग में यह एनोमली रह गई है या कोई गलती हुई है, जिसे मंत्री महोदय ठीक करें, तो अच्छा रहेगा।

ये ESOPs के ऊपर पाबंदी लाए हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ESOPs नहीं दिए जाएंगे। यह भी मुझे समझ नहीं आया कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ESOPs क्यों नहीं देना चाहते हैं। मेरे मित्र गागुंली साहब ने अभी–अभी बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर आपने इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं, इतने ज्यादा डरावने क्लॉजेज डाल दिए हैं कि लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना नहीं चाहते हैं। वे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने से कतराते हैं। उन्हें भरोसा नहीं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर प्रहार करें या किसी भी राज्य की सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर प्रहार करें और उनको देश से बाहर भाग कर जाना पड़े। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपना खुद कासमय बिना रिम्यूनरेशन या छोटे–मोटे रिम्यूनरेशन के लिए कम्पनीज में देते हैं। अगर उनको ESOPs मिले और उनका स्टेक कम्पनी में हो, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छे तरीके से वे अपनी डयूटीज का निर्वहन कर सकेंगे। इसलिए, मुझे लगता है कि क्लॉज 197(7) में ESOPs का जो प्रोहिबिशन है, इसके ऊपर सरकार पुनः विचार करें, इसको ठीक करें और उनको भी कुछ–न–कुछ कम्पेंसेशन दिया जाए, जैसे विदेश में ESOPs द्वारा उनकी फीस 25 प्रतिशत देने के प्रावधान हैं, वैसे ही भारत में कम्पेंसेशन दिया जाए, जैसे विदेश में ESOPs द्वारा उनकी फीस 25 प्रतिशत देने के प्रावधान हैं, वैसे ही भारत में भी कुछ–न–कुछ लाने की आवश्यकता हैं

(2के/वी.एन.के. पर जारी)

-PSV/VNK-GSP/2k/4.25

श्री पीयूष गोयल (क्रमागत) : सर, क्लॉज 131, रिवीजन ऑफ एकाउंट्स से संबंधित हैं। मुझे लगता है कि यह थोड़ा डेंजरस क्लाज है। उसमें जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि ट्राइब्यूनल की रिक्वायरमेंट है कि ट्राइब्यूनल की परमीशन ली जाए। मुझे लगता है कि सरकार इस पर थोड़ा और ध्यान दें। Revision of accounts can be a very dangerous possibility और कई कंपनिया जो किसी गलत काम में पकड़ी गईं, वे उस गलत काम को छुपाने के लिए अकाउन्टस की रिवीजन कर सकती हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कह सकती हैं कि देखों, हमने अकाउन्ट रिवाइज कर दिया, हमारे ध्यान में आया, हमने ठीक कर दिया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए कि रिवीजन मे क्या–क्या प्रावधान रहेंगे और कितनी सख्ती से और कितने rarest of rare cases में यह रिवीजन एलाऊ होगा। ..... (समय की घंटी)..... Sir, If I am talking out of context, and, if my time is over, I am happy to sit down.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. You are making very valid points.

SHRI PIYUSH GOYAL: Thank you, Sir.

श्रीमती माया सिंह : सर, इनको बोलने दीजिए।..... (व्यवधान).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, please try to conclude also. The point is that tomorrow being the holiday, everybody has to go early. So, we have to adjourn the House at 5.00 P.M. That is the decision taken already. This Bill has to be passed, and, that is why, you have been requested to conclude..... (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : सर, मैं चेयर से समझना चाहता हूँ कि जनता की बातें हम सदन में रखें या जल्दबाजी में बिल पास करें। अगर जल्दबाजी में बिल पास करना है, तो चलित हम सब बैठ जाते हैं। ..... (व्यवधान).....

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ..... (व्यवधान).....

श्री पीयूष गोयल : अगर जनता की बात सदन में नहीं रखेंगे .....(व्यवधान).....

श्री उपसभापति : ठीक हैं, you have seven minutes. If you want to speak, you can do so. I only made a requet. A request is only a request, not an order.

श्री पीयूष गोयल : सर सरकार की जो नीयत है कि हर बॉडी के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़े और जो इंडिपेन्डेन्ट बॉडीज है, जैसे Institute of Chartered Accountants हैं, Institute of Company Secretaries है, दूसरी तरफ देखें तो मेडिकल काउंसिल है, सरकार ने हरेक बॉडी के उपर, आर्किटेक्ट्स के ऊपर, यह प्रहार किया था। इस सरकार की नीयत हमने पिछले कई वर्षों में देखी है कि यह हरेक इंडिपेन्डेन्ट बॉडी पर अटैक करती है। ये उनकी इंडिपेन्डेन्स खत्म करना चाहते हैं और हरेक चीज सरकारी अफसर के पास सेंट्रलाइज करने की इनकी पूरी कौशिश रहती है। इस बिल में भी ये एक NFRA – National Financial Reporting Authority का प्रावधान लाए हैं। क्या यह अथॉरिटी 11 लाख कंपनियों को कंट्रोल कर पाएगी? क्या 11 लाख कंपनियों का जो काम हैं, उसमें एकाउटिंग स्टैंडर्डज सैटअप करना, उनमें ऑडिटर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लेना, पियर रिव्यू करना, ये सब काम जो बड़ी खूबी से ये इन्टीटयूट्स कर रहे थे, यह सरकार चाहती है कि ये सारे काम सरकारी बाबू के हाथ में, सरकारी मुलाजिम के हाथ में दे दिये जाएं। मैं समझता हूँ कि यह मनोवृत्ति बड़ी गलत है। सरकार को इंडिपेन्डेन्ट बॉडीज पर प्रहार करना बंद करना चाहिए और

एन.एफ.आर.ए. टाइप एथोर्रिटी को डाइल्यूट करके ये इंडिपेंडेट बॉडीज जो अब तक अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, उनमें सरकारी ऑफिसर अपना रोल प्ले कर सकते हैं।

इन्होंने 141 (1) में प्रोवाइड किया है, Firms where majority partners are Chartered Accountants can be autiors. Again, it is a very dangerous provision, Sir. You can have foreign companies; you can have companies where majority, either in number or percentage, held by non-chartered Accountants becoming autitors. So, this is a backdoor entry to foreign companies. I think, they should either specify what they mean by majority. Is it by the percentage of ownership, economic interest, shareholding or number of partners? How do they decide majority? और क्या यह प्रावधान अच्छा है, जिसमें non-Chartered Accountants partners वाली फर्म्स भी ऑडिटर बन सकती है। Of course, relatives की डैफिनेशन में भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फाइनेंशियली डिपेंडेंट रिलेटिव जैसा कुछ लाएं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा और इसी तरह आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शंन जो होती हैं, उनको इस कानून के अंतर्गत लाकर, मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं।

(2I/DS पर जारी)

- VNK/DS-YSR/4:30/2L

श्री पीयूष गोयल (क्रमागतः): सर, एक विषय श्री एन.के. सिंह ने रेज किया था कि जो प्रोहिबिटिड सर्विसिज हैं, उनके बारे में सरकार को थोड़ा और ज्यादा विस्तार में समझाना चाहिये कि प्रोहिबिटिड सर्विसिज क्या हैं और क्या सर्विसिज अलाउड हैं। अभी जिस प्रकार के कानून बने हैं, उनमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्वीपिंग स्ट्टमेंट्स कि कुछ भी

परमिटेड नहीं है। कई बार सरकार भी कुछ चीजें इन्सिस्ट करती है कि वे ऑडिटर्स के माध्यम से आनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें और क्लैरिटी की आवश्यकता है। यह सरकार जरूर कौशिश करती है कि हरेक चीज रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करे और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के चक्कर में इस सरकार ने देश के ऊपर जो आर्थिक संकट डाला है, उसमें हमने पूरी दुनिया के सामने यह देख लिया है कि दो साल से क्या मुसीबतें आयी हैं। अब रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स में भी हमे पता नहीं कि यह प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या रिट्रोस्पेक्टिवली। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी हमें इस बात से थोड़ा अवगत् कराएँ कि यह प्रोस्पेक्टिव या रिट्रोस्पेक्टिव।

ऑडिटिंग स्टैंडड्स के ऊपर इतने ज्यादा अंकुश लगाए गए हैं, इतने ज्यादा कंट्रोल्स लगाए गए हैं कि कल जजेज को भी बोलना पड़ेगा कि आप आर्डर कैसे लिखों। (समय की घंटी) आखिर auditor performs to the best of his ability and with a lot of indepence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Only two minutes are left. Please conclude.

श्री पीयूष गोयल : सर, मुझे लगता है कि ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस पर सरकार को अर्टक नहीं करना चाहिए। ऑडिटर्स का यह डिस्क्रिशन है कि वह कितना ज्यादा ऑडिट करें, रैंडम सैम्पिलंग कैसे हो, रिपोर्ट पर क्या लिखें और क्या न लिखे और यह स्टैंडड्र्स लाए कि क्या–क्या सब्जेक्ट्स कवर होंगे तो मुझे लगता है कि जैसे जजेज को जजमेंट लिखने की फ्रीडम है, वैसे ही ऑडिटर्स को यह फ्रीडम रहे कि वह ऑडिट रिपोर्ट में क्या कवर करें as long as it covers all the requirements of law. Of course, जो फ्रॉड के क्लॉजेज हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। जो भी ऑडिटर या चार्टड एकाउंटेंट फ्रॉड करें, उसके ऊपर आप एकदम सख्ती से प्रहार करें, लेकिन वह फ्रॉड उसकी डयूटीज में होना चाहिए, उसने ऑडिट का जो काम किया है, उसमें वह फ्रॉड होना चाहिए। If he is found to have conducted himself with due diligence,

if he is found to have exercised due respect for the law and took care, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर फ्रॉड की लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Please conclude.

श्री पीयूष गोयल : मेरे ख्याल से सरकार एक अच्छा कानून ला सकती थी, अगर इसको इतना बड़ा और इतने विस्तार में न लगती। अगर यह सरकार इसको सिम्पलिफाई करने की कौशिश करती, तो मुझे लगता है कि यह कानून और ज्यादा देश के हित में होता और विदेशी मुद्रा को और अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता।

मैं अभी भी ऑनरेबल मिनिस्टर से यह अर्ज करूँगा कि आज तो हम इस कानून का समर्थन करेंगे और इसे पास करेंगे, लेकिन वे इस कानून को एक बार फिर गहराई से देख कर इन रूल्स में जितनी ज्यादा सिम्पलिफिकेशन कर सकें, करें ताकि देश की जनता की सहायता हो और यह कानून देश की जनता को इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करें। इस पर ऑनरेबल मिनिस्टर जरूर फोकस करें, ऐसी मेरी दरख्वास्त है।

Thank You.

(समाप्त)